न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—36/2017/223 (2017/00036)

1. खीमसिंह पुत्र गाजीसिंह, जाति रावत, बहैसियत वारिस काबिज जायदाद स्व0 गाली वल्द चेना, मेन्दू वल्द मोटा, कौम रावत, निवासी गांव गोहाना तहसील ब्यावर, जिला अजमेर ।

अपीलांट

बनाम

1. भूरा पुत्र रोडा, जाति रेगर (मृतक) जरिये वारिसानः—
   1/1— श्रीमती भोली देवी बेवा भूरा,
   1/2— मन्जू पुत्री स्व0 भूरा,
   1/3— राजू वल्द भूरा,
   1/4— कैलाश वल्द भूरा,
   समस्त जाति रेगर, निवासी गांव गोहाना, तहसील ब्यावर, जिला अजमेर।
2. राजस्थान सरकार जरिये भू—धारक तहसीलदार, ब्यावर ।
3. नरेन्द्र कुमार पुत्र मोहनलाल, जाति रेगर, निवासी गांव नरबरखेड़ा, तह0 ब्यावर, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

4. प्रतापसिंह पुत्र गाजीसिंह,
5. मिठूसिंह पुत्र गाजीसिंह,
6. कैलाशसिंह पुत्र गाजीसिंह (मृतक) जरिये वारिसानः—
   6/1— सम्पतसिंह पुत्र कैलाशसिंह,
   6/2— अशोकसिंह पुत्र कैलाशसिंह,
   6/3— जगदीशसिंह पुत्र कैलाशसिंह,
   समस्त जाति रावत, निवासी गोहाना, तह0 ब्यावर, जिला अजमेर ।
7. मोहनसिंह पुत्र गाजी सिंह (मृतक) जरिये वारिसानः—
   7/1— अनोपसिंह वल्द मोहनसिंह,
8. श्रीमती सोहनी पत्नि नारायण सिंह,
9. बाबू सिंह पुत्र नारायणसिंह,
   समस्त बहैसियत स्वंय एवं वारिस काबिज जायदाद स्व0 गाजी वल्द चैना, मेन्दू वल्द मोटा कौम रावत, निवासी गांव गोहाना, तहसील ब्यावर, जिला अजमेर ।

प्रफोर्मा रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध निर्णय व डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर, दिनांक 26.5.2016 अंतर्गत वाद संख्या 97/2011.

उपस्थितः—

1. श्री सूरजसिंह चौहान, वकील अपीलांट ।
2. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 2 .
3. रेस्पो0 संख्या 1/1 से 1/4, 3, 4, 5, 7/1 से 9 अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांकः– 30.7.2021

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर के निर्णय व डिक्री दिनांक 26.5.2016 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. वादी/अपीलांट एवं प्रफोर्मा रेस्पो0 संख्या 4 लगायत 9 ने अधी0न्याया0 के समक्ष एक वाद अंतर्गत धारा 88, 91, 92–ए व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 तथा धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत विरूद्ध प्रतिवादीगण/रेस्पो0 संख्या 1 से 3 के पेश कर कथन किया कि ग्राम गोहाना, तहसील ब्यावर स्थित आराजी साबिक खसरा संख्या 56 हाल संख्या 93 रकबा 1–16–00 भूमि गत 100 वर्षो से वादीगण के पूर्वज मेन्दूं वल्द मोटा के नाम 1350 फसली से चली आ रही और इस पर वादीगण ही मकानात एवं बाड़े बनाकर तथा काश्त करते हुए काबिज चले आ रहे है । उन्हें राजस्व अभिलेख की नकलों की आवश्यकता होने पर जानकारी हुई कि विवादित भूमि को प्रतिवादी संख्या 1 को बिना वादीगण एवं उनके पूर्वजों को सुने बिना आवंटित कर दी गई । जिस बाबत् प्रतिवादी संख्या 1 से निवेदन करने पर उसने दिनांक 5.6.1997 को इकरारनामा वादीगण के पक्ष में निष्पादित कर दिया है जिसके आधार पर प्रतिवादी संख्या 2 से वादीगण का नाम लगाने का निवेदन करने पर उसने मना कर दिया है इसलिये वाद लाने की आवश्यकता हुई है । अतः वाद स्वीकार यह घोषित किया जावे कि प्रतिवादी संख्या 2 के अधिकारियों में जब तक गैर कानूनी रूप से वादीगण के पूर्वज का नाम हटा कर प्रतिवादी संख्या 1 का नाम अंकित कर दिया है उसे दुरूस्त कर वादीगण को खातेदार काबिज घोषित किया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे । अधी0न्याया0 ने निर्णय व डिक्री दिनांक 26.5.2016 द्वारा वादीगण का वाद निरस्त कर दिया । अधी0न्याया0 के इस निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।
3. प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।
4. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 के समक्ष उक्त वाद दिनांक 14.3.2016 से आगामी तारीख पेशी दिनांक 14.6.2016 को नियत किया गया था एवं उक्त प्रकरण पूर्व से ही प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 22 नियम 4 सपठित धाा 151 जा0दी0 के लंबित होने के कारण बहस/जवाब प्रार्थना पत्र धारा 151 जा0दी0 व पेश करने वारिसान के सम्मन/तलवाना हेतु दिनांक 28.10.2015 को पेश होने बाबत् आदेशिका ड्रो की गई थी । दिनांक 28.10.2015 को अधी0न्याया0 के समक्ष मूल वाद प्रस्तुत हुआ एवं प्रतिवादी अनुपस्थित रहे, उन्हें रूक–रूक कर कई बार आवाजे लगायी गई परन्तु अधिवक्ता प्रतिवादी हाजिर नहीं आये एवं ना ही स्वंय प्रतिवादी उपस्थित आये जिस पर अधी0न्याया0 ने अधिवक्ता वादी की एकतरफा बहस प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 3 व 9 सपठित धारा 151 जा0दी0 परसुनी गई एवं वास्ते आदेश दिनांक 4.11.2015 को न्यायालय में पेश होने हेतु निर्धारित की गई । दिनांक 4.11.2015 से पत्रावली दिनांक 9.11.2015 को पेश हुई । उक्त दिनांक को प्रतिवादी अनुपस्थित एवं प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 3 व 9 सपठित धारा 151 जा0दी0 पर पूर्व में सुनी गई बहस के परिपेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन प्रार्थना पत्र 500/–रू0 कोस्ट पर स्वीकार कर पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 23.12.2015 को नियत की गई । दिनांक 23.12.2015 से दिनांक 25.1.2016 तत्पश्चात् 14.3.2016, 14.6.2016 नियत की गई । पत्रावली

दिनांक 14.6.2016 को अधी0न्याया0 में प्रस्तुत होनी थी, लेकिन दिनांक 13.5.2016 को ही राजस्व लोक अदालत में रखी जाने बाबत् अधी0न्याया0 ने मूल वाद में दिनांक 26.5.2016 को कैम्प गोहाना में रखे जाने की आदेशिका ड्रो की है । दिनांक 26.5.2016 को वादीगण स्वंय व उनके अधिवक्ता एवं प्रवितादीगण व उनके अधिवक्ता की अनुपस्थिति में उक्त प्रकरण का निर्णय किया है जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है। आदेशिका दिनांक 9.11.2015 व 23.12.2015 को देखने मात्र से यह स्पष्ट है कि उक्त पत्रावली अग्रिम कार्यवाही अर्थात् पेश होने तरमीम उनवान व साक्ष्य वादी में ही नियत थी एवं वादीगण की पूर्ण साक्ष्य लिये बिना ही उक्त पत्रावली को आनन–फानन में एवं प्रतिवादीगण को लाभ पहुंचाने की नियत से वाद को निर्णित कर दिया । बहस में आगे कथन किया कि वादग्रस्त भूमि वादीगण के पूर्वज मेन्दू वल्द मोटा के नाम फसली जमाबंदी संवत् 1350 में मुद्दत 14 साल व 34 साल से काबिज काश्त चली आयी है व वर्तमान में भी वादीगण उपरोक्त भूमियों पर मकानात बाड़े आदि बनाकर निवास कर रहे है व काश्त करते हुए उपयोग उपभोग कर निवास कर रहे है । उक्त बाबत् प्रतिवादी/रेस्पो0 संख्या 1 ने दिनांक 5.6.1997 को भी स्पष्ट इकरारनामा करते हुए कथन किया कि उपरोक्त वादग्रस्त आराजियात मौके पर मात्र गाली वल्द मोटा के पुत्र खीमसिंह, नारायणसिंह, प्रतापसिंह, मिठूसिंह, कैलाशसिंह, मोहनसिंह पि0 गाजीसिंह रावत निवासी गोहाना ही काबिज चले आ रहे है व भविष्य में एकमात्र यही लोग मालिक व काबिज रहेगें । उक्त इकरारनामा व फसली जमाबंदी 1350 व वर्तमान में भौतिक कब्जा काश्त से भी स्पष्ट है कि प्रतिवादी/रेस्पो0 संख्या 1/या उसके किसी भी वारिसान का उपरोक्त भूमि पर कभी भौतिक कब्जा नहीं रहा एवं उपरोक्त बाबत् वादीगण को अपने साक्ष्यों से साबित किया जाना शेष था लेकिन अधी0न्याया0 ने दिनांक 26.5.2016 को प्रतिवादीगण की जाति का व उसकी रिश्तेदारी का व्यक्ति रीडर पद पर पदस्थापित था एवं रीडर ने जानबूझकर उक्त पत्रावली निर्णय की स्टेज पर नहीं होने के बावजूद भी पी0ओ0 से उक्त प्रकरण का आनन–फानन में निर्णय करवा दिया । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री निरस्त की जावे तथा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वाद डिक्री किया जावे ।

5. विद्वान वकील अपीलांटस ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर निवेदन किया कि अपीलांट एक वृद्ध एवं बीमार व्यक्ति है एवं शेष वादीगण जो कि प्रस्तुत अपील में प्रफोमा रेस्पो0 से नामित किया गया है जो कि वर्तमान में अपने परिवार सहित भरण पोषण हेतु कमान खाने अहमदाबाद गुजरात में निवास कर रहे है । उक्त निर्णय व डिक्री की जानकारी पूर्व में नहीं थी । अपीलांट ने दिनांक 19.12.2016 को अधी0न्याया0 में उपस्थित होकर अपने प्रकरण की जानकारी चाही तब जानकारी में आया कि उक्त वाद पत्र दिनांक 26.5.2016 को ही खारिज कर दिया गया है । तत्पश्चात् अपीलांट ने दिनांक 19.12.2016 को निर्णय व डिक्री की नकल हेतु आवेदन पेश किया जिस पर दिनांक 21.12.2016 को नकल प्राप्त होने पर कानूनी सलाह लेकर जानकारी से अंदर मियाद यह अपील पेश की है । अपील में हुआ विलंब उचित एवं सद्भाविक है । अतः अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।

6. विद्वान राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 2 ने बहस में कथन किया कि प्रस्तुत वाद एग्रीमेंट के आधार पर प्रस्तुत किया गया है जिसकी सुनवाई का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं है एवं प्रतिवादीगण जाति रेगर है तथा वादी जाति रावत है । इसलिये उपरोक्त इकरारनामा 5.6.1997 प्रारंभ से शून्य दस्तावेज है जिसके आधार पर वादी/अपीलांट को कोई अनुतोष प्राप्त नहीं हो सकता है वरन् उपरोक्त प्रकरण में धारा 175 राज0काश्त0अधि0 के तहत कार्यवाही की जाकर वादग्रस्त आराजियात

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

को राज्य सरकार की मिल्कियत दर्ज किया जाना न्यायोचित है । अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे ।

7. हमनें विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है। विद्वान वकील अपीलांटस ने प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 में विलंब के जो कारण अंकित किये है वे उचित एवं सद्भाविक प्रतीत होते है । हम न्यायहित में अपीलांट को गुणावगुण पर सुना जाना उचित समझते है । अतः अपील में हुआ विलंब न्यायहित में माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।

8. प्रकरण में गुणावगुण पर पत्रावली का अवलोकन किया गया। राजस्व रिकार्ड जमाबंदी संवत् 2020 से 2023 के खाता संख्या 320 में विवादित आराजी खसरा संख्या 56 रेस्पो0 सख्या 1 भूरा वल्द रोडा रेगर मुद्दत 6 साल से गैर खातेदार दर्ज है । राजस्थान जमींदारी बिस्वेदारी उन्मूलन अधि0 संवत् 2015 में लागू हुआ । तत्समय भूरा रेगर विवादित भूमि पर काबिज होने से उसे अगली जमाबंदी में गैर खातेदार दर्ज किया गया था। वादी/अपीलांट ने सेटलमेंट में दी गई खातेदारी एवं कब्जे काश्त तथा इकरारनामा दिनांक 5.7.1997 के आधार पर वाद पेश किया है । इकरारनामा के आधार पर एवं प्रतिवादी/रेस्पो0 संख्या 1 जो कि अनुसूचित जाति का व्यक्ति है की आराजियात पर वादी/अपीलांट को खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते है । विद्वान अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलब्ध संपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर वादी/अपीलांट का वाद खारिज किया है जो विधिसम्मत् निर्णय है जिसमें हमें कोई अनियमितता प्रतीत नहीं होती है । उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांट खारिज योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय यथावत् रखे जाने योग्य पाया जाता है ।

9. अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है । विद्वान उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, ब्यावर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26.5.2016 यथावत् रखा जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

10. निर्णय आज दिनांक 30.7.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

डिगरी ब सीगे अपील

(ओ.41,रूल35 जाप्ता दिवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix "G"-9)

अज अदालत : राजस्व अपील प्राधिकारी, मुकाम अजमेर।
ब इजलाशः– श्रीमती मेघना चौधरी, आर.ए.एस.

श्री खीम सिंह पुत्र श्री गाजी सिंह जाति रावत बहैसियत वारिस काबिज जायदाद स्व.गाली वल्द चेना, मेन्दू वल्द मोटा कौम रावत, निवासी गॉव गोहाना, तहसील ब्यावर जिला अजमेर।

बनाम

भूरा पुत्र श्री रोड़ा, जाति रेगर (मृतक) वारिसान 1/1 श्रीमती भोली देवी बेवा श्री भूरा, जाति रेगर निवासी गॉव गोहाना, तहसील ब्यावर जिला अजमेर व अन्य ।

– – –

अपील संख्या 36/2017 (2017/00036) ब नाराजगी डिक्री अदालत उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर मुकाम ब्यावर मुबर्खे 26 माह 05 सन् 2016, प्रकरण संख्या 97/2011,

दावा बाबत् : अन्तर्गत धारा 88,91,92ए एवं188 राज. काश्तकारी अधिनियम.1955 व 136 भू–राजस्व अधिनियम.

यह अपील ब तारीख 30 माह 07 सन् 2021 रूबरू राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर ब हाजिरी श्री सूरज सिंह चौहान वकील मिनजानिब अपीलांट,व श्री विकास पाराशर रेस्पोडेन्ट संख्या 02, राजकीय अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट संख्या 1/1 से 1/4, 3, 4, 5, 7/1 से 9 अनुपस्थित, समायत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ हैं किः–**अपील अपीलांट खारिज की जाती है। विद्वान उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर,ब्यावर द्वारा पारित निर्णय 26.05.2016 यथावत् रखा जाता है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जैल तादादी मुबलिक–––×––– रूपये–––×–––. अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का–––×––– अदा करें।)

बस्बत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत आज तारीख 30 माह 07.सन् 2021 को जारी किया गया।

मोहर (राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर)

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

खर्चा अपील

अपीलांट	रूपये पैसे	रेस्पोडेन्ट	रूपये पैसे
1.स्टाम्प अपील	–	1.स्टाम्प वकालतनामा	–
2.स्टाम्प वकालतनामा	–	2.स्टाम्प अर्जी	–
3.इजराय हुक्मनामा	–	3.इजराय हुक्मनामा	–
4.वकील फीस बाबत्	–	4.महनताना वकील	–
मीजान	–	मीजान	–

नोटः–इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे निगरानी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहियें।